परिपत्र संख्या–18 / 2018

ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकःलखनऊः अप्रैल 26, 2018

प्रिय महोदय,

आप सहमत होंगे कि प्रत्येक स्तर पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कठिन परिश्रम करने के बावजूद समाज में पुलिस की एक नकारात्मक छवि विद्यमान है। पुलिस की छवि के खराब होने में पुलिस की कार्यशैली के अतिरिक्त मीडिया से निरन्तर संवाद न होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इस संवादहीनता के कारण प्रिंट/इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया में बहुधा एकपक्षीय खबरें चलती है।

प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया/सोशल मीडिया में प्रतिकूल एकपक्षीय खबर के चलने/छपने से न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी छवि धूमिल होती है एवं इस पर मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। मेरे द्वारा अपनी समीक्षा में मीडिया/सोशल मीडिया में प्रतिकूल खबरों के चलने के निम्न कारण पाये गये हैं:–

(i) जनपद स्तर पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग न होना।

(ii) पुलिस के सराहनीय कार्यो का समुचित प्रचार–प्रसार न होना।

(iii) अधिकारियों के कार्य सरकार में व्यस्त रहने की वजह से कई बार मीडिया कर्मियों के फोन न उठ पाना।

(iv) गैरजनपदीय शाखाओं (यातायात, फायर सर्विस, अभियोजन, भ्र0नि0सं0, सतर्कता अधि0, जीआरपी आदि) द्वारा अपने सराहनीय कार्यो का समुचित प्रचार–प्रसार न करना। पी0आर0ओ0 का पी0एस0ओ0 के रूप में व्यवहारिक रूप में कार्यरत होना।

(v) सोशल मीडिया में प्रशिक्षित कर्मचारियों का जनपद के अन्दर या गैर जनपद स्थानान्तरण होना एवं उनके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति न होना।

(vi) सोशल मीडिया सेल में नियुक्त कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण न होना।

(vii) त्यौहार/कानून व्यवस्था या अन्य मौकों पर मीडिया/सोशल मीडिया में नियुक्त पुलिस कर्मियों की कानून व्यवस्था/हमराही ड्यूटी लगना।

प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया की खबरें एक दूसरे को फीड करती हैं एवं खबरे सर्वप्रथम सोशल मीडिया पर ब्रेक हो रही है। प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया की पारस्पिरिक निर्भरता के कारण यह अतिआवश्क है कि जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर एक सशक्त एवं सक्रिय मीडिया/सोशल मीडिया सेल का पुर्नगठन किया जाय।

इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जा रहे है:–

अ- जनपद/परिक्षेत्र/ जोन प्रभारी के लिये निर्देश

(1) प्रत्येक जनपद में वर्तमान में प्रचलित पीआरओ/सोशल मीडिया सेल के स्थान पर एक पृथक मीडिया/सोशल मीडिया सेल का गठन किया जायेगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। इस सेल में 02 निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक एवं 03 आरक्षी कार्यरत रहेंगे। 01 प्रभारी निरीक्षक व उपनिरीक्षक दिन की शिफ्ट में कार्यरत रहेंगे। एक निरीक्षक रात्रि शिफ्ट में कार्यरत रहेंगे एवं एक–एक आरक्षी 08–08 घंटे की शिफ्ट में कार्यरत रहेंगे। महानगरों में जनपद प्रभारी आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकते है।

जनपदीय मीडिया/सोशल मीडिया सेल			
क्र0सं0	पद	नियतन	शिफ्ट
1	प्रभारी निरीक्षक	02	(1) 9 AM - 8 PM (2) 8 PM - 9AM
2	उपनिरीक्षक	01	7 AM - 5.30 PM
3	आरक्षी	03	(1) 6AM - 2PM (2) 2PM - 10PM (3) 10PM - 6AM
4	गोपनीय सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	10 AM - 8PM

(2) मीडिया सेल को पृथक अनुभाग के रूप में दर्ज करते हुये मुख्यालय को सूचित किया जाय एवं किसी भी प्रकार का पत्राचार उक्त अनुभाग संख्या दर्ज करते हुये किया जाय।

(3) इसमें वरिष्ठतम निरीक्षक को मीडिया सेल का प्रभारी नियुक्त किया जायेगा एवं मीडिया प्रभारी का सीयूजी नम्बर सभी पत्रकारों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) मीडिया सेल में निरीक्षक/उपनिरीक्षक की नियुक्ति न्यूनतम 01 वर्ष के लिये की जायेगी और आरक्षी न्यूनतम 02 वर्ष के लिये नियुक्त होंगे।

(5) नियुक्त करने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों का साक्षात्कार लेकर उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, अभिरूचि एवं तकनीकी योग्यता के आधार पर उनको नियुक्त करेंगे। नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक जनपद उपरोक्त पुलिस कर्मियों का नाम, पीएनओ, मोबाईल नं0 तत्काल मुख्यालय को प्रेषित करेंगे एवं जोन/रैंज/जनपद स्तर पर एक स्थायी डाटाबेस रखेंगे।

(6) यथासम्भव प्रभारी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक को अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिये, जिससे वह अंग्रेजी समाचार पत्रों, चैनलों व सोशल मीडिया पोस्ट को भली–भांति समझ सके।

(7) सेल में टंकण कार्य हेतु एक स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर नियुक्त किया जाय।

(8) मीडिया/सोशल मीडिया सेल में नियुक्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(9) डीआईजी/आईजी/एडीजी भी अपने कार्यालय में मीडिया सेल का गठन करें, जिसमें 12–12 घंटे की दो शिफ्ट में 02 आरक्षी, 01 उपनिरीक्षक एवं 01 निरीक्षक कार्यरत रहेंगे।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल (परिक्षेत्र/जोन)			
क्र0सं0	पद	नियतन	शिफ्ट
1	प्रभारी निरीक्षक	01	8 AM - 8 PM
2	उपनिरीक्षक	01	8 AM - 8 PM
3	आरक्षी	02	(1) 8AM - 8PM (2) 8PM - 8PM

(10) प्रत्येक जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर एक मोबाइल जर्नलिज्म किट खरीदा जायेगा, उक्त किट में 01 अच्छी रिकार्डिंग की गुणवत्ता वाला मल्टीमीडिया मोबाइल फोन, 01 ट्राईपाड, एलईडी लाइट व एक्सटर्नल माईक लिया जायेगा, जिसका प्रयोग उच्चाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण प्रकरणों पर दी जाने वाली मीडिया बाईट की रिकार्डिंग करने में किया जायेगा।

(11) SP Crime को मीडिया सेल का पदेन पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाय। SP Crime के नियुक्त न होने की दशा में SP City द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा। SP Crime/ SP City द्वारा प्रतिमाह मीडिया सेल के कार्यों का निरीक्षण नोट एक रजिस्टर में दर्ज कर, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जायेगा।

(12) मीडिया सेल/सोशल मीडिया सेल में नियुक्त कर्मचारियों से IGRS, सर्विलांस/साईबर सेल, चुनाव सेल, कानून व्यवस्था ड्यूटी संबंधी कार्य नहीं लिया जायेगा।

(13) जनपद में किसी प्रकार की गम्भीर घटना (रेल दुर्घटना, जहरीली शराब से मृत्यु, सनसनीखेज अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति इत्यादि) होने पर मीडिया प्रभारी मुख्यालय द्वारा सूचना मांगे जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, एलआईयू, संबंधित विभाग/अन्य स्रोत इत्यादि से सम्पर्क कर उक्त सूचना उपलब्ध करायेंगे।

ब– <u>अजनपदीय शाखाः–</u>

(1) यातायात निदेशालय, फायर सर्विस, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, जीआरपी, एसटीएफ, एटीएस, एसडीआरएफ, यूपी–100, सहकारिता, तकनीकी सेवायें, टेलीकाम, प्रशिक्षण, ईओडब्लू, सीबीसीआईडी, एसआईटी, एसआईबी अपने यहां मीडिया सेल का गठन कर मुख्यालय को सूचित करें। यू0पी0–100, एसटीएफ, एटीएस, जीआरपी, एसडीआरएफ एवं फायर सर्विस की मीडिया सेल 24 घण्टे कार्यरत रहेगी।

(2) सोशल मीडिया सेल का प्रभारी निरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा, जिसमें 02 निरीक्षक, 01 उपनिरीक्षक व 03 आरक्षी कार्यरत रहेंगे। 01 निरीक्षक व उपनिरीक्षक दिन की शिफ्ट में कार्य करेंगे व 01 निरीक्षक रात्रि शिफ्ट में कार्यरत रहेंगे। एक–एक आरक्षी 08–08 घंटे की शिफ्ट में कार्यरत रहेंगे।

(3) 24 घण्टे कार्यरत रहने वाली मीडिया इकाइयों में 12–12 घण्टे की की शिफ्ट में निरीक्षक/उपनिरीक्षक उपलब्धतानुसार नियुक्त किये जायेगें। यथासम्भव प्रभारी मीडिया सेल पर निरीक्षक स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जायें।

स- संसाधन

(1) जनपदीय मीडिया सेल में निम्नलिखित संसाधन उपलब्ध करायें जाये–

क0सं0	उपकरण	प्रभारी निरीक्षक	मीडिया सेल	योग
1	मल्टीमीडिया फोन	01	01	02
2	सीयूजी सिम	01	01	02
3	कम्प्यूटर	01	01	02
4	प्रिंटर	–	01	01
5	वाई–फाई कनेक्शन	–	01	01
6	ट्राई पाड	–	01	01
7	एलईडी लाईट	–	01	01
8	माईक	–	01	01

(2) मीडिया/सोशल मीडिया सेल हेतु कैम्प कार्यालय पर एक पृथक कक्ष की व्यवस्था की जाय। कक्ष न होने की दशा में उसका निर्माण करा लिया जाय। उपरोक्त कक्ष में राष्ट्रीय/स्थानीय सभी समाचार पत्र मंगाये जाये एवं एक टीवी में सभी चैनल देखने की व्यवस्था की जाय।

नोटः– क्रम संख्या 6,7 एवं 8 के संबंध में जनसम्पर्क कार्यालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 में सम्पर्क करें।

द- कार्य

(i) जनपदीय मीडिया सेल का कार्य

प्रिंट मीडिया

(1) प्रथम शिफ्ट में आने वाले कर्मचारी जनपद के समस्त महत्वपूर्ण अखबारों की कटिंग पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रत्येक दशा में 08 बजे तक प्रस्तुत करेंगे।

(2) समाचार पत्र में किसी महत्वपूर्ण समाचार के प्रकाशित होने पर मीडिया प्रभारी उक्त समाचार को जनपद के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे एवं संबंधित थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी उक्त के संबंध में ग्रुप में संक्षेप में जवाब पोस्ट करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी जनपद की खबरों से भिज्ञ रहेंगे।

(3) किसी समाचार पत्र में गलत खबर छपने पर जनपद प्रभारी/अपर पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित ब्यूरो चीफ/सम्पादक से वार्ता कर उन्हे सही तथ्यों से अवगत करायेंगे।

(4) प्रत्येक जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन पिछले 24 घंटे में महत्वूपर्ण घटनाओं/उपलब्धियों के संबंध में सायं 05 बजे प्रेस वार्ता की जायेगी। कोई उल्लेखनीय बात न होने पर भी प्रतिदिन सामूहिक संवाद रखा जाये।

(5) **प्रेस नोटः–**

प्रेस नोट मे मीडिया प्रभारी व जनपद प्रभारी निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे।

(1) पत्रकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार प्रेस नोट से किसी भी घटना के 05 बिन्दुओं का उत्तर अवश्य मिल जाना चाहिये। (5 W एवं 1 H)

W- What
W- When
W- Where
W- Who
W- Why
H- How

(2) पुलिस विभाग के द्वारा प्रेस नोट में निम्न 03 बिन्दुओं (ICA) का ध्यान भी रखना आवश्यक है।

क– घटना (Incident)
ख– घटना के कारण (Cause)
ग– पुलिस कार्यवाही (Action)

(3) प्रेस नोट यूनीकोड फान्ट एवं साथ ही पी0डी0एफ0 में भी भेजा जाय।

(4) प्रेस नोट के साथ भेजे जाने वाली फोटो में फोटो पर छोटे अक्षरों में कैप्शन अवश्य डाला जाय। एक से अधिक गुडवर्क होने की दशा में कई फोटोग्राफ जाने की स्थिति में कैप्शन होने से भ्रम की स्थिति नहीं होगी।

(5) प्रेस नोट में एक पैराग्राफ में जनपद प्रभारी/वरिष्ठ अधिकारी का वक्तव्य (Version) दिया जाय।

(6) प्रेस नोट सायंकाल 05 बजे तक मीडिया को अवश्य मेल कर दिया जाय।

(7) पुलिस महानिदेशक मुख्यालय की ओर से पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) द्वारा शासन में प्रतिदिन 05 बजे प्रेस बीफ्रिंग की जाती है। जनपद के सराहनीय कार्य को मुख्यालय के प्रेस नोट/ब्रीफिंग में सम्मिलित करने के लिये प्रत्येक दशा में 03 बजे सायं तक सूचना उपलब्ध करा दी जाय।

इलेक्ट्रानिक मीडिया

(1) टी0वी0 पर जनपद से संबंधित कोई समाचार अथवा पट्टी (Scroll) चलने पर मीडिया सेल प्रभारी उस समाचार को तत्काल पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लायेंगे एवं सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी से उक्त के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त करेंगे। पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय द्वारा उक्त समाचार के सम्बन्ध में पूछे जाने पर विस्तृत आख्या मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप/prodgp-up@nic.in ई–मेल आईडी पर उपलब्ध करायेंगे।

(2) किसी चैनल पर सनसनीखेज खबर चलने की स्थिति में मीडिया प्रभारी तत्काल पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक की वीडियो/आडियो बाईट सम्बन्धित चैनल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
घटनास्थल पर होने या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से वीडियो बाईट देना सम्भव न हो तो आडियो बाईट रिकार्ड कर जनपदोय मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में एवं पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे।

(3) यदि टीवी चैनल/चैनलों पर कोई गलत खबर चलती है, तो जनपदीय प्रभारी उसका तथ्यात्मक खंडन तत्काल करें।

(4) किसी भी जनपद में टीवी चैनल को बाईट अपर पुलिस अधीक्षक या उनसे ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा बावर्दी दी जायेगी।

(5) जनपद के अधिक से अधिक सराहनीय कार्यो एवं उपलब्धियों की पट्टी (Scroll) इलेक्ट्रानिक चैनलों पर चलवायें।

(6) मीडिया सेल में टीवी पर एक साथ एक से अधिक टीवी चैनल देखने हेतु Splitter का प्रयोग करें। इस हेतु यदि जानकारी की आवश्यकता हो तो जनसम्पर्क कार्यालय, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से सम्पर्क करें।

सोशल मीडिया

(1) जनपद के सभी मीडिया कर्मियों के ट्विटर हैंडल प्राप्त कर उनकी एक लिस्ट अपने जनपद के ट्विटर पर बनायी जाय व उक्त लिस्ट का सतत् पर्यवेक्षण किया जाय।

(2) ट्विटर एवं फेसबुक पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को मीडिया सेल प्रभारी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अपनी–अपनी शिफ्ट में प्रातः 10 बजे एवं सायंकाल 08 बजे अवलोकित कराया जायेगा एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों को तत्काल अवगत कराया जायेगा।

(3) महत्वूर्ण ट्वीट्स को जिले के अधिकारियों के Whatsapp Group में भी तत्काल मीडिया सेल द्वारा डाला जायेगा, जिससे हर स्तर पर अधिकारी उसका संज्ञान ले सकें।

(4) जनपद स्तर पर कोई भी सनसनीखेज घटना घटित होने पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उक्त घटना के संबंध में टेम्पलेट बनवाकर ट्विटर एवं फेसबुक पर अपना अधिकारिक वक्तव्य दें एवं कार्यवाही पूर्ण करायें। उक्त घटना के अनावरण होने तक उसमें होने वाली महत्वपूर्ण प्रगति को भी समय–समय पर सोशल मीडिया पर डाला जाये।

(5) बलात्कार पीड़िता/परिजन की पहचान गोपनीय रखी जाये।

(6) जनपद की प्रत्येक माह की अपराध गोष्ठी में सोशल मीडिया (ट्विटर/फेसबुक) पर प्राप्त थानावार शिकायत एवं उसके निस्तारण की समीक्षा एसएसपी/एसपी द्वारा की जाय एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने मासिक मुआयने में भी सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों /निस्तारण का उल्लेख किया जाय। SP Crime/SP City द्वारा प्रत्येक माह हर थाने/क्षेत्राधिकारी को उसके क्षेत्र की सोशल मीडिया के शिकायत/निस्तारण के संबंध में एक स्टेटमेंट प्रेषित किया जाय।

व्हाट्सएप ग्रुप

(1) प्रत्येक जनपद में खबरों के आदान प्रदान हेतु समस्त SO/CO/Addl.SP/SP Crime/CO Crime/ SP Traffic/CO Traffic/ TI/TSI/ मीडिया सेल प्रभारी को सम्मिलित कर एक whatsapp group बना लिया जाय। ग्रुप पूर्व से प्रचलित होने की दशा में मीडिया प्रभारी एवं मीडिया सेल के CUG नं0 को उसमें जोड़ लिया जाय।

(2) जनपद के सभी मीडिया कर्मियों (प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया) को सम्मिलित करते हुये एक whatsapp group बनाया जाय, जिसमें जनपद में होने वाली घटना के संबंध में सही व तथ्यात्मक सूचना से सभी मीडिया कर्मियों को अवगत कराया जाय। इस whatsapp group के एडमिन मीडिया सेल प्रभारी होंगे एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्वयं अपना मंतव्य (Version) देंगे।

(3) समाचार पत्र, चैनल, वेब पोर्टल के ब्यूरो चीफ/सम्पादक के लिये` पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर से एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाये एवं नियमित रूप से उनसे भी संवाद रखा जाय।

(4) डीजीपी मुख्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना के लिये सामान्यतया मीडिया सेल प्रभारी से ही वार्ता की जायेगी। प्रभारी वाट्स एप में प्राप्त जवाब/आख्या के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर मुख्यालय को अवगत कराते हुये, जनपद के सोशल मीडिया एकाउंट पर अपना पक्ष रखेंगे।

(5) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के जनसम्पर्क कार्यालय से जनपदों के पीआरओ को सम्मिलित करते हुए एक वाट्सएप ग्रुप पहले से प्रचलित है। इस ग्रुप में मीडिया प्रभारी को भी सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी महत्वपूर्ण प्रकरण में अन्य माध्यमों से सूचना प्रेषित करने के अतिरिक्त इस ग्रुप में भी सूचना डाली जायेगी ।

(ii) परिक्षेत्र/जोनल मीडिया सेल के कार्य

(1) परिक्षेत्र/जोन स्तर पर अभियान/कार्यवाही के विश्लेषणात्मक प्रेस नोट/ब्रीफिंग समय–समय पर मीडिया को उपलब्ध कराना।

(2) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, सोशल मीडिया सेल से भेजे जाने वाले ट्वीट्स में कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(3) परिक्षेत्र/जोन स्तर के मीडिया के ब्यूरो चीफ को सम्मिलित कर एक Whatsup Group बनाना एवं आवश्यकतानुसार मीडिया को वक्तव्य देना।

(4) ASMA टूल्स द्वारा महत्वपूर्ण की–वर्ड सर्च कर परिणाम से अवगत कराना।

(5) टीवी चैनल पर चलने वाली व समाचार पत्रों में छपी किसी महत्वपूर्ण खबर को तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर जनपद से उचित कार्यवाही कराना एवं ट्वीट करना।

(6) जनपदीय सोशल मीडिया सेल का सत्त पर्यवेक्षण करना।

(7) महत्वपूर्ण प्रकरणों में आवश्यकता पडने पर उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक, परिक्षेत्र/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन की बाईट रिकार्ड कर इलेक्ट्रानिक चैनल को उपलब्ध कराना एवं ट्वीटर हैण्डल पर अपलोड करना।

(iii) अजनदपीय पुलिस शाखा के मीडिया सेल के कार्य

अजनपदीय पुलिस शाखा के मीडिया सेल के प्रभारी सम्बन्धित पुलिस शाखा के सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्यो का प्रेसनोट तैयार कर जनसम्पर्क कार्यालय मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 के ईमेल–आईडी prodgp-up@nic.in पर भेजेंगे तथा जनसम्पर्क कार्यालय से मांगी जाने वाली सूचनाओं को तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

	मीडिया/सोशल मीडिया सेल प्रभारी के कर्तव्य
(1)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/ अपर पुलिस महानिदेशक की ओर से प्रतिदिन मीडिया से संवाद एवं मधुर सम्बन्ध रखना।
(2)	प्रतिदिन जनपद स्तर पर पुलिस के अच्छे कार्यो के संबंध में मीडिया को प्रेस नोट उपलब्ध कराना। परिक्षेत्र/जोन स्तर पर भी आवश्यकतानुसार सराहनीय कार्य/अभियान के संदर्भ में प्रेस नोट उपलब्ध कराया जायेगा।
(3)	सनसनीखेज अपराधों, पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की खबरों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक की बाईट कराना। यही कार्यवाही परिक्षेत्र/जोन स्तर पर भी मीडिया प्रभारी द्वारा की जायेगी।
(4)	मीडिया सेल प्रभारी अपने जनपद के सभी मीडिया कर्मियों (प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया) का मोबाइल नम्बर व ट्विटर हैंडल की जानकारी रखेंगे एवं ट्वीट में उनकों टैग करेंगे।
(5)	चैनल/सोशल मीडिया पर किसी अन्य प्रकार की खबर वायरल होने की स्थिति में मीडिया प्रभारी द्वारा संबंधित चैनल पर तत्काल बाईट करवाते हुये जनपद/रेंज/जोन के ट्विटर हैंडल से तथ्यात्मक ट्वीट किया जायेगा।
(6)	महत्वपूर्ण प्रकरणों में मल्टीमीडिया फोन से ट्राईपाड का प्रयोग करते हुए अधिकारी की सूक्ष्म बाईट रिर्काड कर ट्वीटर हैंडल पर अपलोड करना, जनपदीय PRO Whatsapp Group व DGP HQ SMC Whatsapp Group पर भी क्लिप भेजना।
(7)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/ अपर पुलिस महानिदेशक का कतिपय कारण से फोन न उठने पर सम्बन्धित से मीडिया की वार्ता कराना।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

————